न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला– सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या–17 / 2021 प्रा.प.
उनवान

1. श्री अनोपसिंह पिता माधुसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री चन्दनसिंह पिता माधुसिंह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री नाथुसिंह पिता माधुसिंह राजपुत उम्र बालिग
   सभी निवासी मैथुडी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री लालसिंह पिता लक्ष्मणसिंह राजपुत उम्र बालिग
2. श्री जालमसिंह पिता जोरावर सिंह राजपुत उम्र बालिग
3. श्रीमती तोली बाई पत्नी जोरावरसिंह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री दोलतसिंह पिता जोरावरसिंह राजपुत उम्र बालिग
5. श्री नाथुसिंह पिता केसरसिंह राजपुत उम्र बालिग
6. श्रीमती नाथीबाई पुत्री केसरसिंह राजपुत उम्र बालिग
7. श्री भेरूसिंह पिता केसरसिंह राजपुत उम्र बालिग
8. श्री भवानीसिंह पिता जोरावरसिंह राजपुत उम्र बालिग
9. श्री भीमसिंह पिता प्रेमसिंह राजपुत उम्र बालिग
10. लाली पुत्री केसरसिंह राजपुत उम्र बालिग
    सभी निवासी मैथुडी तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
11. श्रीमान भुमिधारी महोदय (तहसीलदार साहब) सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक : 13/08/24

उपस्थितिः श्री सोहनलाल चौधरी – अधिवक्ता प्रार्थीगण
विपक्षी सं. 1 लगायत 10–एक पक्षीय
पैरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि यह कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की कृषि भुमि मोजा ग्राम् मैथुडी पटवार मण्डल मैथुडी तहसील सलूम्बर जिला उदयपुर हाल जिला सलूम्बर (राज.) में स्थित है। वादीगण की कृषि भुमि सेटलमेंट से पूर्व की जमाबन्दी संवत् 2035 से 2040 के खाता संख्या 282 में आराजी संख्या 1726 जिसका रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा है, उक्त आराजी संख्या 1726 के नये आराजी नम्बर 1730 रकबा 0.21 हैक्टर है, जिसका विवरण वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता संख्या 63 में विवरण अंकित है। सेटलमेंट विभाग ने पेमाईस के दौरान वादीगण की पुराने आराजी संख्या 1726 का रकबा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

1 बीघा 2 बीस्वा था, जिसे नये आराजी संख्या 1730 जिसका रकबा 0.21 हैक्टेयर किया गया, जो कि पुराने के मुकाबले 0.026 हैक्टर कम किया गया है, जिसे करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही था तथा सेटलमेंट विभाग ने पुराने नक्शे के अनुरुप नये नक्शे में अंकन वादग्रस्त आराजीयात का नही किया पुराने नक्शा संवत् 1933 के अनुसार आराजी संख्या 1727 को आराजी संख्या 1728 के एकदम नीचे सीधी लाईन दक्षिण की ओर खिची गई है तथा दक्षिण से एक सीधी लाईन नक्शे में आराजी संख्या 1729 के मध्य बिन्दु से मिला दी गई, जबकि सेटलमेंट विभाग ने सेटलमेंट के दौरान नये नक्शे में नये नम्बरों का जो अंकन किया उसके अनुसार आराजी संख्या 1727 के नये नम्बर 1729 है. जिसे नये नक्शे में पुराने आराजी संख्या 1729 जिसके नये आराजी संख्या 1741 है के मध्य बिन्दु को नही मिलाकर सीधी एक लाईन पुराने आराजी संख्या 1729 जिसके नये आराजी नम्बर 1741 के एकदम बहुत नीचे, नये आराजी संख्या 1728 के एकदम सीधी मिलाकर वादी के रकबे को कम किया गया है. जिसे करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही था। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त किया जाना आवश्यक है। सेटलमेंट विभाग ने विपक्षी संख्या 1 लालसिंह के पुराने खाते की जमाबन्दी जिसके खाता संख्या 359 थे, जिसके आराजी संख्या 1728 रकबा 1 बीघा 1 बीस्वा था, जिसके सेटलमेंट के बाद नये नम्बर 1727 रकबा 0.23 हैक्टर व 1728 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.34 हैक्टर हो गया जो पुराने के मुकाबले करीब 0.03 हैक्टेयर अधिक है, उक्त अधिक रकबा प्रार्थीगण का कम कर विपक्षी संख्या की आराजी में मिला दिया गया है। विपक्षी संख्या 2 से 10 को इस कारण से पक्षकार बनाया गया है पुराने आराजी संख्या 1727 रकबा 2 बीस्वा व जिसके नये आराजी 1729 रकबा 0.02 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है तथा नये नक्शे में उक्त आराजी संख्या में नक्शे की लाईन को गलत मिला दिया गया है, जिस कारण से उक्त आराजी संख्या का नक्शा भी प्रभावित हुआ है जिस कारण उक्त खाते के समस्त खातेदार विपक्षी संख्या 2 से 10 को पक्षकार बनाया गया है।

अतः श्रीमान आप न्यायालय से सादर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारीत कि जावे कि--

1. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 की उपकलम संख्या क में अंकित आराजीयात का रकबा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 की उपकलम संख्या क के पुराने आराजी के अनुरुप तुलनात्मक किया जावें।
2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 की उपकलम संख्या क में अंकित आराजीयात का नक्शा सीट में दुरस्ती प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 की उपकलम संख्या क में अंकित आराजीयात के पुराने नक्शे के अनुरुप किया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी 1 लगायत 10 तक के गैर हाजिर रहने से आदेशिका दिनांक 05-04-2023 को विपक्षी सं. 1 लगायत 10 तक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रकरणं में तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब मय. रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि उक्त प्रकरण के पक्षकारों की कृषि भूमि मौजा मैथुडी प.म. मैथुडी में स्थित है जो कि संवत् 2075-78 की चालु जमाबंदी के खाता संख्या 63 खसरा संख्या 1730 रकबा 0.21 है० में खातेदार अनोपसिंह, चंदनसिंह, नाथुसिंह पिता माधुसिंह बराबर का हिस्सा धारित करते है। जमाबंदी संवत् 2037-40 के खाता संख्या 282 खसरा नम्बर 1726 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा खातेदार चंदनसिंह नाथुसिंह अनोपसिंह पि. माधुसिंह के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2037-40 की खाता संख्या 282 खसरा 726 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा दर्ज था जिसका जमाबंदी संवत् 2075-78 की खाता संख्या 63 खसरा संख्या 1730 रकबा 0.21 है० होना पाया गया। जो कि मूल रकबे से वर्तमान रकबे में 0.026 है० का अंतर पाया गया। वादी द्वारा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पुराने नक्शे तथा नक्शे में परिवर्तन होने से प्रभावित होना बताया गया जो कि वादी स्वयं सिद्ध करें।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस अपने प्रार्थनापत्र अनुसार रही एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार ने बहस मे अपने जवाब मे अंकित तथ्यों का दोहराया।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। साबिक आराजी नम्बर 1726 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से मिलाने क्षेत्रफल अनुसार बने हाल आराजी नम्बर 1730 रकबा 0.21 हैक्टेयर बनाया गया जो मूल रकबे से वर्तमान रकबे में 0.026 हैक्टेयर अन्तर पाया गया। तथा हाल नक्शा शीट साबिक नक्शा शीट अनुरूप नही होकर साबिक नम्बर 1727 के नये नम्बर 1729 तथा साबिक नम्बर 1729 के नये नम्बर 1741 के मध्य मे नही मिलाकर सीधी एक लाईन साबिक आराजी नम्बर 1729 के नये आराजी नम्बर 1741 के एकदम बहुत निचे नये आराजी नम्बर 1728 मे एकदम सीधी मे मिला दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के साबिक आराजी नम्बर 1726 से बने हाल आराजी नम्बर 1730 मे कम हुआ रकबा 0.026 हैक्टेयर विपक्षी संख्या 1 के हाल आराजी नम्बर 1727 व 1728 मे से कम करते हुऐ 0.026 हैक्टेयर रकबा प्रार्थी के आराजी नम्बर 1730 मे बढाया जाकर राजस्व रेकॉर्ड मे शुद्धि किये जाने एवं प्रार्थी के साबिक नक्शा शीट अनुसान हाल नक्शा शीट में शुद्धि कर अमलदरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार सलूम्बर को भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 13/08/24 को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर